

:: आदेश ::

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 जो शासकीय गजट उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर राजस्व विभाग के कलेक्ट्री अधिष्ठान में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का निम्नलिखित स्थानान्तरण आदेश जनहित में पारित किये जाते हैं:-

| क्र० सं०  | नाम कर्मचारी         | तैनाती का वर्तमान पद                               | स्थानान्तरित पद एवं स्थान                              | अन्य विवरण |
|---|----------------------|--|--|------------|
| वेतन ब्रेण्ड-5200-20200 ग्रेड वेतन-2000(सातवें वेतन में लेबल-3) |                      |  |  |            |
| 01.   | श्री सुनील नौटियाल   | कनिष्ठ सहायक, (सम्प्रेषण) जिला कार्यालय, उत्तरकाशी | कनिष्ठ सहायक, स्थानीय निकाय, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी। | जनहित में  |
| 02  | श्री गणेश सिंह चौहान | कनिष्ठ सहायक, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी             | कनिष्ठ सहायक(सम्प्रेषण) जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।      | जनहित में  |

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 02 दिन अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा योगदान करने से पूर्व स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचार नियमावली का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 एवं उपरोक्त एक्ट में किये गये संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

दिनांक 25 जून, 2019

ह0/-डा0आशीष चौहान,  
जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या: 9194 /नौ-14

(2017-18)

दिनांक 25 जून, 2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपरोक्त कर्मचारीगण।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
5. व्य0प0 उपरोक्त कर्मचारीगण।

प्रभागी अधिकारी,  
कते-जिलाधिकारी